

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S**

**राजस्व वाद संख्या : 460/21 (वाद)**

**GCMS NO: 2021/257**

**अन्वय**

श्री गणेशलाल पिता श्री चंपा जी चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।

वादी

**बनाम**

श्री मोहनलाल पिता चंपा चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।

श्री भेरू पिता पन्नालाल चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।

श्रीमती बगली देवा पन्नालाल चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।

श्री भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

**उपस्थित-**

1. श्री श्रवण कुमार पोखरना, अधिवक्ता वादी।

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**- : निर्णय : -**

**दिनांक : 04.12.2025**

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.04.2023 को जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार कानोड द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रतिवादी अनुपस्थित है।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेताखेडा पटवार हल्का सारंगपुरा भीण्डर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किरम	लगान
1	गणेशलाल पुत्र चम्पा हिस्सा पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	356/1	0.0600	चा.तृ.	0.84
		357/4	0.0850	चा.तृ.	0.25
		358/1	0.1900	चा.तृ.	0.57
	<b>योग</b>	<b>किता 3</b>	<b>0.3350</b>	-	<b>1.66</b>
2	बगली पति स्व. पन्नालाल हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा. खातेदार भैरूलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा. देह खातेदार	356/3	0.4500	चा.तृ.	6.30
		357/3	0.0850	बा.तृ.	0.23
		358/2	0.1550	बा.तृ.	0.46
		359/1	0.03550	बा.तृ.	0.10
	<b>योग</b>	<b>किता 4</b>	<b>0.7250</b>	-	<b>7.09</b>
3	मोहन पुत्र चम्पा हिस्सा पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	356/4	0.4500	चा.तृ.	6.30
		357/2	0.0850	बा.तृ.	0.23
		358/3	0.1900	बा.तृ.	0.57
	<b>योग</b>	<b>किता 3</b>	<b>0.7250</b>	-	<b>7.09</b>
4	हेमत कुमार पुत्र पन्नालाल मेघवाल हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. राजपुत खातेदार	356/2	0.3900	चा.तृ.	5.46
		<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.3900</b>	-
5	गणेशलाल पुत्र चम्पा हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा. देह खातेदार मोहन पुत्र चम्पा हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा. देह खातेदार बगली पति स्व. पन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति जटिया सा. खातेदार भैरूलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति जटिया सा. देह खातेदार	360	0.0500	बा.तृ.	0.15
		361	0.6600	बा.तृ.	1.98
		356/5	0.0500	बा.तृ.	0.07
		357/1	0.0250	बा.तृ.	0.07
		358/4	0.0250	बा.तृ.	0.07
		358/5	0.0200	बा.तृ.	0.06
		359/2	0.0250	बा.तृ.	0.05
	<b>योग</b>	<b>किता 7</b>	<b>0.8450</b>	-	<b>3.08</b>

अन्तिम डिक्री पचा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 460/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/257

अनवान

1. श्री गणेशलाल पिता श्री चंपा जी चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

बनाम

.....वादी

1. श्री मोहनलाल पिता चंपा चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।
2. श्री भेरु पिता पन्नालाल चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।
3. श्रीमती बगली बेवा पन्नालाल चमार निवासी खेताखेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर।
4. श्री भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.....प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.12.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खेताखेडा पटवार हल्का सारंगपुरा भीण्डर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुरार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गणेशलाल पुत्र चम्पा हिस्सा पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	356/1	0.0600	चा.तृ.	0.84
		357/4	0.0850	चा.तृ.	0.25
		358/1	0.1900	चा.तृ.	0.57
	योग	किता 3	0.3350	-	1.66
2	बगली पति स्व. पन्नालाल हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा. खातेदार	356/3	0.4500	चा.तृ.	6.30
	भेरुलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा. देह खातेदार	357/3	0.0850	बा.तृ.	0.23
		358/2	0.1550	बा.तृ.	0.46
		359/1	0.03550	बा.तृ.	0.10
	योग	किता 4	0.7250	-	7.09
3	मोहन पुत्र चम्पा हिस्सा पूर्ण जाति जटिया सा. देह खातेदार	356/4	0.4500	चा.तृ.	6.30
		357/2	0.0850	बा.तृ.	0.23
		358/3	0.1900	बा.तृ.	0.57
	योग	किता 3	0.7250	-	7.09
4	हेमत कुमार पुत्र पन्नालाल मेघवाल हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. राजपूत खातेदार	356/2	0.3900	चा.तृ.	5.46
	योग	किता 1	0.3900	-	5.46
5	गणेशलाल पुत्र चम्पा हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा. देह खातेदार	360	0.0500	बा.तृ.	0.15
	मोहन पुत्र चम्पा हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा. देह खातेदार	361	0.6600	बा.तृ.	1.98
	बगली पति स्व. पन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति जटिया सा. खातेदार	356/5	0.0500	बा.तृ.	0.07
	भेरुलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति जटिया सा. देह खातेदार	357/1	0.0250	बा.तृ.	0.07
		358/4	0.0250	बा.तृ.	0.07
		358/5	0.0200	बा.तृ.	0.06
		359/2	0.0250	बा.तृ.	0.05
	योग	किता 7	0.8450	-	3.08

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।